



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082023-248287
CG-DL-E-24082023-248287

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त, 24, 2023/भाद्र 2, 1945

No. 485]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST, 24, 2023/BHADRA 2, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 620(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 2023 है।

(2) यह 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम, 2019 के पैरा 7 में,--

(क) उप-पैरा 1(घ) में, "1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2023 और 30 जून, 2023 के बीच (जिसमें यह दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उप-पैरा 1(घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा और सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : -

"1(ड) योजना के अधीन 1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् किए गए जमा पर नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट ब्याज दर लागू होगी :--

सारणी

क्र.सं. (1)	खाते की श्रेणी (2)	ब्याज की दर (प्रतिशत प्रति वर्ष) (3)
1.	एक वर्ष	6.9
2.	दो वर्ष	7.0
3.	तीन वर्ष	7.0
4.	पांच वर्ष	7.5”।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन—राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (तीसरा संशोधन) स्कीम, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी, तथापि, इस संशोधित स्कीम को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल स्कीम संख्यांक सा.का.नि. 922(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 289(अ), तारीख 5 मई, 2020, सा.का.नि. 838(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022, सा.का.नि. 53(अ), तारीख 20 जनवरी, 2023 और सा.का.नि. 327(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2023

G.S.R. 620(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Savings Time Deposit Scheme, 2019, namely:-

- (1) This Scheme may be called the National Savings Time Deposit (Third Amendment) Scheme, 2023.
- (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2023.
- In the National Savings Time Deposit Scheme, 2019, in paragraph 7,-
 - in sub-paragraph 1(D), for the words and figures, “on or after the 1st day of April, 2023”, the words, figures and brackets “between 1st April, 2023 and 30th June, 2023 (both days inclusive)” shall be substituted;
 - after sub-paragraph 1(D), the following sub-paragraph and Table shall be inserted, namely:-

“1(E) The rate of interest as specified in the Table below shall be applicable to the deposit made on or after 1st day of July, 2023 under the Scheme.

TABLE

S. No. (1)	Category of account (2)	Rate of interest (per cent. per annum) (3)
1.	One-year	6.9
2.	Two-years	7.0
3.	Three-years	7.0
4.	Five-years	7.5”.

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.- By giving retrospective effect to the National Savings Time Deposit (Third Amendment) Scheme, 2023 no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 922(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R. 289(E), dated the 5th May, 2020, G.S.R. 838(E), dated the 22nd November, 2022, G.S.R. 53(E), dated the 20th January, 2023 and G.S.R. 327(E), dated the 27th April, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 621(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत आवर्ती निक्षेप योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत आवर्ती निक्षेप (संशोधन) योजना, 2023 है।

(2) यह 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना कहा गया है) के पैरा 9 में, सारणी 1.1 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

“सारणी-1.1

अवधि, जिसके दौरान खाता खोला गया	100 रु. मूल्य वर्ग के किसी खाते पर पुनःसंदेय रकम (रुपए में)
12.12.2019 से 31.03.2020 तक	7231.38
01.04.2020 से 31.03.2023 तक	6969.67
01.04.2023 से 30.06.2023 तक	7043.27
01.07.2023 को या उसके पश्चात्	7099.08

अन्य किसी मूल्य वर्ग के किसी खाते पर ब्याज सहित पुनःसंदेय रकम, सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की समानुपाती होगी।

3. उक्त योजना के पैरा 10 के उप पैरा (2) के खंड (क) में,--

(क) सारणी 1.2 में, “1 अप्रैल, 2023 को अथवा उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी सम्मिलित हैं)” अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) सारणी 1.2 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“सारणी-1.3

[1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् खोले गए तथा परिपक्वता अवधि के पश्चात् या पैरा 10 के उपपैरा (1) के अधीन यथाविस्तारित परिपक्वता अवधि से आगे मासिक जमाओं के साथ जारी खातों पर ब्याज सहित पुनःसंदेय रकम]

पूर्ण वर्षों की संख्या, जिनमें खाता जारी रहा	100 रु. मूल्य वर्ग के किसी खाते पर रकम (रुपए में)
एक वर्ष	8814.76
दो वर्ष	10644.70
तीन वर्ष	12596.52
चार वर्ष	14678.33
पांच वर्ष	16898.80

अन्य किसी मूल्य वर्ग के किसी खाते पर ब्याज सहित पुनःसंदेय रकम, सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की समानुपाती होगी।

4. उक्त स्कीम के पैरा 11 के उपपैरा (2) में,--

(क) सारणी 2.2 में, “1 अप्रैल, 2023 को अथवा उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी सम्मिलित हैं)” अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) सारणी 2.2 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“सारणी-2.3

[1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् खोले गए तथा परिपक्वता अवधि के पश्चात् या पैरा 10 के उप पैरा (1) के अधीन यथाविस्तारित परिपक्वता अवधि से आगे बिना किन्हीं नई मासिक जमाओं के साथ जारी खातों पर ब्याज सहित पुनःसंदेय रकम]

पूर्ण वर्षों की संख्या, जिनमें खाता जारी रहा	100 रु. मूल्य वर्ग के किसी खाते पर रकम (रुपए में)
एक वर्ष	7571.89
दो वर्ष	8076.19
तीन वर्ष	8614.08
चार वर्ष	9187.79
पांच वर्ष	9799.71

अन्य किसी मूल्य वर्ग के किसी खाते पर ब्याज सहित पुनःसंदेय रकम, सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की समानुपाती होगी।

5. उक्त स्कीम के पैरा 12 के उप पैरा (1) में,—

(क) सारणी 2.2 में, “1 अप्रैल, 2023 को अथवा उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी सम्मिलित हैं)” अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) सारणी 2.2 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“सारणी-2.3

[1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् खोले गए तथा खाता बंद होने तक, इस योजना के अधीन पांच वर्षों के दौरान जमाकर्ता की मृत्यु पर विधिक उत्तराधिकारी या नामनिर्देशितियों को संदेय रकम]

किए गए जमाओं की संख्या	100 रु. मूल्य वर्ग के लिए रकम (रुपए में)	किए गए जमाओं की संख्या	100 रु. मूल्य वर्ग के लिए रकम (रुपए में)
1 से 11	किए गए जमा	36	3982.44
12	1242.86	37	4104.43
13	1350.10	38	4227.08
14	1457.91	39	4350.40
15	1566.31	40	4474.37
16	1675.28	41	4599.02
17	1784.85	42	4724.33
18	1895.00	43	4850.33
19	2005.75	44	4977.00
20	2117.10	45	5104.35
21	2229.04	46	5232.39
22	2341.59	47	5361.12
23	2454.74	48	5490.54
24	2568.51	49	5620.66
25	2682.88	50	5751.48
26	2797.88	51	5883.00
27	2913.49	52	6015.24
28	3029.72	53	6148.18
29	3146.59	54	6281.85
30	3264.08	55	6416.23
31	3382.20	56	6551.34
32	3500.96	57	6687.17
33	3620.36	58	6823.74

34	3740.41	59	6961.04
35	3861.10	60	7099.08
अन्य किसी मूल्य वर्ग के किसी खाते पर ब्याज सहित संदेय रकम, सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की समानुपाती होगी।			

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन—राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी। तथापि, इस संशोधित स्कीम को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 918(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 285(अ), तारीख 5 मई, 2020 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2023

G.S.R. 621(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019, namely:-

- (1) This Scheme may be called the National Savings Recurring Deposit (Second Amendment) Scheme, 2023.
- (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2023.
2. In the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 9, for the TABLE 1.1, the following TABLE shall be substituted, namely:-

“TABLE-1.1

Period during which account is opened	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
From 12.12.2019 to 31.03.2020	7231.38
From 01.04.2020 to 31.03.2023	6969.67
From 01.04.2023 to 30.06.2023	7043.27
On or after 01.07.2023	7099.08
Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table”.	

3. In the said Scheme, in paragraph 10, in sub-paragraph (2), in clause (a),-

(a) in TABLE-1.2, for the words and figures, “on or after the 1st day of April, 2023”, the following words, figures and brackets “between 1st April, 2023 to 30th June, 2023 (both days inclusive)” shall be substituted;

(b) after TABLE-1.2, the following TABLE shall be inserted, namely:-

“TABLE-1.3

[Amount inclusive of interest repayable on the accounts opened on or after the 1st day of July, 2023 and continued with monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 10]

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) on an account of 100 rupees denomination
One years	8814.76
Two years	10644.70
Three years	12596.52
Four years	14678.33
Five years	16898.80
Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table”.	

4. In the said Scheme, in paragraph 11, in sub-paragraph (2),-

(a) in TABLE-2.2, for the words and figures, “on or after the 1st day of April, 2023”, the following words, figures and brackets “between 1st April, 2023 to 30th June, 2023 (both days inclusive)” shall be substituted;

(b) after TABLE-2.2, the following TABLE shall be inserted, namely:-

“TABLE-2.3

[Amount inclusive of interest repayable on the accounts opened on or after the 1st day of July, 2023 and continued without any fresh monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 11]

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) on an account of 100 rupees denomination
One years	7571.89
Two years	8076.19
Three years	8614.08
Four years	9187.79
Five years	9799.71
Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table”.	

5. In the said Scheme, in paragraph 12, in sub-paragraph (1),-

(a) in TABLE-2.2, for the words and figures, “on or after the 1st day of April, 2023”, the following words, figures and brackets “between 1st April, 2023 to 30th June, 2023 (both days inclusive)” shall be substituted;

(b) after TABLE-2.2, the following TABLE shall be inserted, namely:-

“TABLE-2.3

[Amount payable to legal heir or nominees on the death of the depositor in five years under this Scheme on the accounts opened on or after the 1st day of July, 2023 and up to the closure of the account]

Number of deposits made	Amount (Rupees) for denomination of 100 rupees	Number of deposits made	Amount (Rupees) for denomination of 100 rupees
1 to 11	Deposits made	36	3982.44
12	1242.86	37	4104.43
13	1350.10	38	4227.08
14	1457.91	39	4350.40
15	1566.31	40	4474.37
16	1675.28	41	4599.02
17	1784.85	42	4724.33
18	1895.00	43	4850.33
19	2005.75	44	4977.00
20	2117.10	45	5104.35
21	2229.04	46	5232.39
22	2341.59	47	5361.12
23	2454.74	48	5490.54
24	2568.51	49	5620.66
25	2682.88	50	5751.48
26	2797.88	51	5883.00
27	2913.49	52	6015.24
28	3029.72	53	6148.18
29	3146.59	54	6281.85
30	3264.08	55	6416.23
31	3382.20	56	6551.34
32	3500.96	57	6687.17
33	3620.36	58	6823.74

34	3740.41	59	6961.04
35	3861.10	60	7099.08
Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table”.			

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.-By giving retrospective effect to the National Savings Recurring Deposit (Second Amendment) Scheme, 2023, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 918(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 285(E), dated the 5th May, 2020, G.S.R. 330(E), dated the 27th April, 2023.